

आदेश की नं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
17.03.2020	<p style="text-align: center;">न्यायालय समाहर्ता, पूर्णिया उत्पाद वाद संख्या-36/2020 राज्य बनाम</p> <p>1. हारुण रसीद, पिता मोजीबुर्हमान, सा०-रामपुर वार्ड नं०-01, बरसौनी, थाना-डगरुआ, जिला-पूर्णिया। (जप्त मोटर साईकिल सं०-BR11AA-7974 के स्वामी)</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। यह वाद डगरुआ थाना कांड सं०-184/2019 दिनांक 01.10.19 के आलोक में प्रारम्भ की गई है। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 4854/हि०शा० दिनांक 18.12.19 द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन की जाँच दिनांक 01.10.19 को डगरुआ थाना अन्तर्गत कजरा पुल के पास की गई। जांच के क्रम में जप्त वाहन के पीछे बंधे झोले से रॉयल स्टेग व्हिस्की का 25 बोतल (प्रति बोतल 750मि०ली०), इम्पेरियल ब्लू का 03 बोतल (प्रति बोतल 750मि०ली०) एवं ऑफिसर्स च्वाईस का 43 पाउच (प्रति पाउच 180मि०ली०) विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>इस वाद में विपक्षी द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28.01.20 एवं 14.02.20 को उपस्थिति दी गई, परन्तु कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया जिन्हें अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 18.02.20 की सुनवाई में अंतिम मौका दिया गया। दिनांक 06.03.20 की सुनवाई में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर पुनः समय की मांग की गई। फलतः आज की तिथि निर्धारित की गई परन्तु आज विपक्षी न तो उपस्थित हुए और न ही उनका कोई कारणपृच्छा प्राप्त हुआ।</p> <p>उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन के पीछे बंधे झोले से रॉयल स्टेग व्हिस्की का 25 बोतल (प्रति बोतल 750मि०ली०), इम्पेरियल ब्लू का 03 बोतल (प्रति बोतल 750मि०ली०) एवं ऑफिसर्स च्वाईस का 43 पाउच (प्रति पाउच 180मि०ली०) विदेशी शराब जप्त किया गया है जो जप्ती सूची में दर्ज है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी द्वारा कई तिथियों में उपस्थिति देकर कारणपृच्छा समर्पित नहीं किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99</p>	

“विधिमाम्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।” ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत जप्त मोटर साईकिल सं0-BR11AA-7974 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलिय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,
पूर्णिया।

समाहर्ता,
पूर्णिया।